न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बीलवाडी, कैम्प दिनांक 24.05.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 59/2017 दायर तारीख 28.07.2017

1. रामकिशन पुत्र जगदीश प्रसाद जाती जाट निवासी ढाणी बरवा की ग्राम चतरपुरा तहसील विराटनगर **— वादी**

बनाम

1. रामधन
2. मुकेश
3. फूली पत्नी रामसहाय
4. सुन्दरी देवी पत्नी फुलाराम
5. बालूराम
6. राजेश
7. शिवराम
8. धर्मेन्द्र
9. रामकुमार

(5–9) पुत्रान फुलाराम

(1–9) जाती गुर्जर निवासी ढाणी कंवरावाला चतरपुरा, तहसील विराटनगर

10. पूनम
11. कृष्णा

(10–11) पुत्री फुलाराम

12. नरेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल जाती जाट निवासी 59 हस्तसाल रोड उत्तम नगर नई दिल्ली 110059
13. दुर्गा देवी पत्नी ग्यारसा
14. साधुराम
15. उमराव

(14–15) पुत्रान ग्यारसा

16. कोयली
17. राधा
18. सुशीला
19. आंची देवी

(16–19) पुत्रियान ग्यारसा

20. भगवाना पुत्र भूरिया
21. फुला पत्नी भूरिया
22. बालू पुत्र भूरिया
23. फुला पत्नी बोदा
24. सोना पुत्र गोदा

(13–24) जाती जाट निवासी ढाणी कंवरावाला ग्राम चतरपुरा तहसील विराटनगर

Web Copy Not Official

25. मालीराम
26. सेडूराम
27. श्रवण
28. सुणीलाल
29. बाबूलाल
30. अर्जुन

} पुत्रान बदरी

31. दडकली पत्नी बदरी
32. लाडा
33. बीझी
34. सरोज

} पुत्रियान बदरी

35. लच्छी देवी पुत्री हनुमान
36. नारायण
37. छींतर

} पुत्र छोटू

} जाती जाट निवासी ढाणी कंवरावाला ग्राम चतरपुरा तहसील विराटनगर

38. प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
39. प्रबन्धक, एमजीबी शाखा विराटनगर, जिला जयपुर
40. प्रबन्धक जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा विराटनगर, जिला जयपुर।
41. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
42. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

43. गजेन्द्र
44. राजेन्द्र प्रसाद

} पुत्र जगदीश,

45. कमली देवी पत्नी जगदीश प्रसाद

} जाती जाट निवासी ढाणी कंवरावाला ग्राम चतरपुरा, तहसील विराटनगर

46. आशा पुत्र जगदीश पत्नी कमलेश
47. निशा पुत्र जगदीश पत्नी महेश

} जाती जाट निवासी भीखावाला तहसील शाहपुरा, जयपुर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री जितेन्द्र पलसानिया, अधिवक्ता वादी
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं॰ 12
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चतरपुरा के खसरा नम्बर 507/0.65, 508/0.57, 509/1.06, 510/1.21, 583/0.08 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 का वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 37, हिस्सा 1/6 के प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11, हिस्सा 1/6

का प्रतिवादी संख्या 12, हिस्सा 1/6 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 लगायत 47 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार काबिज है प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 37 का नाम केवल राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा शेष 1/6 भाग के प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11, हिस्सा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 12, हिस्सा 1/6 भाग के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने प्रतिवादी संख्या 12 व अन्य दीगर व्यक्तियों के साथ नाजायज संगठन बना रखा है, जो वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उसके रोड की तरफ वाली हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त में दखल करते है, तथा उसे बेदखल करने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 507/0.65, 508/0.57, 509/1.06, 510/1.21, 583/0.08 हैक्टेयर का कानूनी बंटवारा कर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/2 अलग से संभलाया जावे, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में बेजादखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 10 संवत् 2071–2074 पेश की गई।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 12 जरिए मुखत्यार आम रामेश्वरप्रसाद गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश कर कानूनी बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
4. प्रतिवादी संख्या 38 का जवाब रहा कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि प्रतिवादी संख्या 38 के रहन दर्ज है। बंटवारे की डिक्री करते समय उनके हिस्से के अनुसार जो भूमि उनकी खातेदारी मे आवे, उस भूमि को पूर्व की भांती रहन दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।
5. प्रतिवादी संख्या 12 का जवाब रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है, वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सुविधानुसार मनबट से बाहमी बंटवारा कर रखा है, जिसमें अलवर–जयपुर रोड से लगती भूमि हाल खसरा नम्बर 509, 510 में सबसे पहले पूर्वी दिशा की ओर वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण इसके बाद दूसरे नम्बर पर हाल खसरा नम्बर 509 का कुछ हिस्सा व 510 में अपने हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 12 काबिज काश्त है तथा इस प्रकार से रोड भूमि से लगते नम्बर पर अन्य प्रतिवादीगण काबिज काश्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी का हिस्सा अधिक होने से हाल खसरा नम्बर 507 का हिस्सा, 508 जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने अपने मकानात व बोरिंग कर रखी पर एवं हाल खसरा नम्बर 583 सम्पूर्ण पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी भूमि है तथा इसी प्रकार काबिज काश्त है। मिन उत्तरदाता मौके पर कब्जा काश्त एवं हिस्सानुसार कानूनी बंटवारा किये जाने पर सहमत है।

6. उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर दिनांक 24.04.2018 को तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप उभय पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई।
7. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में मजमा–ए–आम राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु पेश हुई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।
8. प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव राजस्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप लोक अदालत में प्राप्त हो चुका है।
9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान के निवेदन पर मनन किया गया। वस्तुतः ग्राम चतरपुरा के खसरा नम्बर 507/0.65, 508/0.57, 509/1.06, 510/1.21, 583/0.08 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 का वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 37, हिस्सा 1/6 के प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11, हिस्सा 1/6 का प्रतिवादी संख्या 12, हिस्सा 1/6 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उभय पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाता का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उभय पक्षकारान के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। वादीगण का निवेदन रहा कि बंटवारा प्रस्ताव में दर्ज खसरा नम्बर 509/1, जो प्रतिवादी के कब्जा काश्त में के स्थान पर खसरा नम्बर 508 की पश्चिमी मेढ के सहारे 509/1 में दर्ज रकबा 0.2750 हैक्टेयर दिया जावे एवं वादीगण को खसरा नम्बर 509/1 रकबा 0.2750 हैक्टेयर दिया जावे, इससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी एक जगह हो जावेगी तथा आराजी की काश्त करने एवं आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी भविष्य में नहीं होगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण का निवेदन दोनो पक्षों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार की जाती है, तथा बंटवारा प्रस्ताव में उक्तानुसार संसोधन किया जाना न्यायसंगत है। बंटवारा प्रस्ताव संबंध में राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान ने मुताबिक संसोधन बंटवारा प्रस्ताव आराजी का कानूनी बंटवारा करने का निवेदन किया है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार है। अतः राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुसार मुताबिक राजीनामा व बंटवारा प्रस्ताव दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

10. परिणामतः वादी वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	कमली पत्नी जगदीश प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, रामकिशन, गजेन्द्र पिता जगदीशप्रसाद, आशा, निशा पुत्रीयां जगदीशप्रसाद, दुर्गा देवी पत्नी ग्यारसा, साधुराम, उमराव पिता ग्यारसा, कोयली, राधा, सुशीला, आंची देवी पुत्रीयां ग्यारसा, भगवाना पुत्र भूरिया, साधुराम, उमराव पिता ग्यारसा, फूला पत्नी भूरिया, बालू पुत्र भूरिया, फूला पत्नी बोदा, सोना, बदरी पिता गोदा, लच्छी देवी पुत्री हनुमान, नारायण, छींतर पिता छोटू	510/1/0.39, 508/0.295, 509/1.06 हैक्टेयर
2	सुन्दरी पत्नी फूलाराम, बालूराम, राजेश, शिवराम, धर्मेन्द्र, राजकुमार पिता फूलाराम, पूनम, कृष्णा पुत्रीयां फूलाराम हिस्सा बराबर 1/3, रामधन, मुकेश पिता रामसहाय, फूली पत्नी रामसहाय हिस्सा 1/3, नरेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा 1/3	507/0.65, 510/0.82, 509/1/0.2750 हैक्टेयर
3	शामलात	583/0.08

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 24.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बीलवाडी में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

दिनांक 11.06.2018 संशोधन नोटः–निर्णय में पैरा सं. 10 की कॉलम बिन्दु सं. 2 के कॉलम में ख.नं. 509/1/0.2750 है0 के बजाय ख. न. 508/1/0.2750 है0 पढ़ा जावे तथा तरतीबी प्रति सं. 46 व 47 में पुत्र के स्थान पर पुत्री पढ़ा जावें।

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट बीलवाडी

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. रामकिशन पुत्र जगदीश प्रसाद जाती जाट निवासी ढाणी बरवा की ग्राम चतरपुरा तहसील विराटनगर **— वादी**

बनाम

2. रामधन
3. मुकेश
4. फूली पत्नी रामसहाय
5. सुन्दरी देवी पत्नी फुलाराम
6. बालूराम
7. राजेश
8. शिवराम
9. धर्मेन्द्र
10. रामकुमार

(6–10) पुत्रान फुलाराम

(2–10) जाती गुर्जर निवासी ढाणी कंवरावाला चतरपुरा, तहसील विराटनगर

11. पूनम
12. कृष्णा

(11–12) पुत्री फुलाराम

13. नरेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल जाती जाट निवासी 59 हस्तसाल रोड उत्तम नगर नई दिल्ली 110059
14. दुर्गा देवी पत्नी ग्यारसा
15. साधुराम
16. उमराव

(15–16) पुत्रान ग्यारसा

17. कोयली
18. राधा
19. सुशीला
20. आंची देवी

(17–20) पुत्रियान ग्यारसा

21. भगवाना पुत्र भूरिया
22. फुला पत्नी भूरिया
23. बालू पुत्र भूरिया
24. फुला पत्नी बोदा
25. सोना पुत्र गोदा

(14–25) जाती जाट निवासी ढाणी कंवरावाला ग्राम चतरपुरा तहसील विराटनगर

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

26. मालीराम
27. सेडूराम
28. श्रवण
29. सुणीलाल
30. बाबूलाल
31. अर्जुन
} पुत्रान बदरी

32. दडकली पत्नी बदरी
33. लाडा
34. बीझी
35. सरोज
} पुत्रियान बदरी

36. लच्छी देवी पुत्री हनुमान
37. नारायण
38. छींतर
} पुत्र छोटू

} (26 से 38) जाती जाट निवासी ढाणी कंवरावाला ग्राम चतरपुरा तहसील विराटनगर

39. प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर
40. प्रबन्धक, एमजीबी शाखा विराटनगर, जिला जयपुर
41. प्रबन्धक जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा विराटनगर, जिला जयपुर।
42. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
43. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

44. गजेन्द्र
45. राजेन्द्र प्रसाद
} पुत्र जगदीश,

46. कमली देवी पत्नी जगदीश प्रसाद

} (44 से 46) जाती जाट निवासी ढाणी कंवरावाला ग्राम चतरपुरा, तहसील विराटनगर

47. आशा पुत्र जगदीश पत्नी कमलेश
48. निशा पुत्र जगदीश पत्नी महेश
} जाती जाट निवासी भीखावाला तहसील शाहपुरा, जयपुर

— तरतीबी प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 59/2017 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री जितेन्द्र पलसानियां एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री अवधेश कुमार शर्मा एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 507/0.65, 508/0.57, 509/1.06, 510/1.21, 583/0.08 हैक्टेयर का कानूनी बंटवारा कर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/2 अलग से संभलाया जावे, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में बेजादखल नहीं करें।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उभय पक्षकारान ने प्रकरण में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव कानूनी बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	कमली पत्नी जगदीश प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, रामकिशन, गजेन्द्र पिता जगदीशप्रसाद, आशा, निशा पुत्रीयां जगदीशप्रसाद, दुर्गा देवी पत्नी ग्यारसा, साधुराम, उमराव पिता ग्यारसा, कोयली, राधा, सुशीला, आंची देवी पुत्रीयां ग्यारसा, भगवाना पुत्र भूरिया, साधुराम, उमराव पिता ग्यारसा, फूला पत्नी भूरिया, बालू पुत्र भूरिया, फूला पत्नी बोदा, सोना, बदरी पिता गोदा, लच्छी देवी पुत्री हनुमान, नारायण, छींतर पिता छोटू	510/1/0.39, 508/0.295, 509/1.06 हैक्टेयर
2	सुन्दरी पत्नी फूलाराम, बालूराम, राजेश, शिवराम, धर्मेन्द्र, राजकुमार पिता फूलाराम, पूनम, कृष्णा पुत्रीयां फूलाराम हिस्सा बराबर 1/3, रामधन, मुकेश पिता रामसहाय, फूली पत्नी रामसहाय हिस्सा 1/3, नरेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा 1/3	507/0.65, 510/0.82, 509/1/0.2750 हैक्टेयर
3	शामलात	583/0.08

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 24.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बीलवाडी में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

दिनांक 11.06.2018 संशोधन नोटः–डिक्री के बिन्दु सं. 2 के कॉलम में ख.नं. 509/1/0.2750 है0 के बजाय ख. न. 508/1/0.2750 है0 पढ़ा जावे तथा तरतीबी प्रति सं. 46 व 47 में पुत्र के स्थान पर पुत्री पढ़ा जावें।

सत्यमेव
Web Copy - Not Official

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24.05.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर